न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी श्रीमती नेहा छीपा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 31/2024

उनवान

1. नारायण पुत्र श्री एकलिंग गाडरी नि0 सायला तह0 हमीरगढ जिला भलवाडा(राज.)

---प्रार्थी

बनाम

1. राजु लाल पुत्र श्री रामलाल नि0 सायला तह0 हमीरगढ, जिला भीलवाडा(राज.)
2. लेलु पुत्र श्री केशु गाडरी नि0 सायला तह0 हमीरगढ, जिला भीलवाडा(राज.)
3. रतन लाल पुत्र श्री डालु गाडरी नि0 सायला तह0 हमीरगढ, जिला भीलवाडा(राज.)
4. मांगु पुत्र श्री देवा कुम्हार नि0 सायला तह0 हमीरगढ, जिला भीलवाडा(राज.)
5. मांगु पुत्र श्री देवा कुम्हार नि0 सायला तह0 हमीरगढ, जिला भीलवाडा(राज.)
6. राम लाल पुत्र श्री कालुराम रेगर नि0 सायला तह0 हमीरगढ, जिला भीलवाडा(राज.)
7. पेमा पुत्र श्री कालु रेगर नि0 सायला तह0 हमीरगढ, जिला भीलवाडा(राज.)
8. भीमा पुत्र श्री भवाना बलाई नि0 सायला तह0 हमीरगढ, जिला भीलवाडा(राज.)
9. गहरू पुत्र श्री भैरू बलाई नि0 सायला तह0 हमीरगढ, जिला भीलवाडा(राज.)
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

---अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 09.05.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भूँ–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 22.02.2024 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम सायला प.ह. दूडिया भू.अ.नि. बरडोद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 97 की आ.न. 381 रकबा 0.7334है0, आ.न. 382 रकबा 0.5690है0, आ.न. 383 रकबा 0.4173है0, आ.न. 384 रकबा 0.0379है0, आ.न. 385 रकबा 0.3794 है0, आ.न. 386 रकबा 0.1897है0, आ.न. 387 रकबा 1.1886है0, आ.न. 388 रकबा 0.2403है0, कुल किता 08 कुल रकबा 3.7556 है0 भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 12.03.2024 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 व 04 लगायत 9 बावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विपक्षी संख्या 4 अदम तामील प्राप्त। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा नियम सुनवाई पर उपस्थित होकर विपक्षी संख्या 4 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए ओदशिका पर अंकित किया गया । प्रार्थी का निवेदन स्वीकार कर प्रा.पत्र मे विपक्षी क्रम 4 का नाम डिलीट/विलोपित करने की आज्ञा पारित की जाती है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य ळें

–::आदेश::–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि **ग्राम सायला प.ह. दूडिया भू.अ.नि. बरडोद तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 97 की आ.न. 381 रकबा 0.7334है0, आ.न. 382 रकबा 0.5690है0, आ.न. 383 रकबा 0.4173है0, आ.न. 384 रकबा 0.0379है0, आ.न. 385 रकबा 0.3794 है0, आ.न. 386 रकबा 0.1897है0, आ.न. 387 रकबा 1.1886है0, आ.न. 388 रकबा 0.2403है0, कुल किता 08 कुल रकबा 3.7556 है0 भूमि स्थित है।** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 1500/–पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/–रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

आदेश आज दिनांक 09.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(नेहा छींपा)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner